

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक B15263 /
चार-12-14/80 Pt. VII Q

जबलपुर, दिनांक 01/09/2021.

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम चार भोपाल दिनांक 01 सितम्बर 2012 के अनुसार श्री उमेश तिवारी, जूनियर ज्यूडिशियल असि., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 07-05-2021 से गृह भाडा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

पृ० क्रमांक B15264 /
चार-12-14/80 Pt.VII Q

जबलपुर, दिनांक 01/09/2021.

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर, की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. ए.ओ.(जे)लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. श्री उमेश तिवारी, जूनियर ज्यूडिशियल असि. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)